

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची-834001

झापांक-2365

दिनांक-17/07/2026

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड न्यायिक सेवान्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-22/2023) के संबंध में आवश्यक सूचना।

- झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक-10.03.2024 को आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परीक्षाफल दिनांक-05.06.2026 को प्रकाशित कर दिया गया है।
2. प्रारंभिक परीक्षा के **संशोधित परीक्षाफल** में सफल अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुरूप पूर्व में समर्पित ऑफलाईन आवेदन की छायाप्रति अथवा ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (हार्ड कॉपी) दिनांक-**05.08.2026 05:00 PM** तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा हाथों-हाथ **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001"** के पते पर अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
 3. उक्त से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ/अनुदेश आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।
 4. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची-834001

झारखण्ड न्यायिक सेवान्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-22/2023) के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-22/2023) के संशोधित परीक्षाफल में सफल अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में समर्पित ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति अथवा ऑफलाईन आवेदन की छायाप्रति के साथ वांछित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति जमा करने संबंधी आवश्यक अनुदेश।

झारखण्ड न्यायिक सेवान्तर्गत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-22/2023) निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित है:-

दिनांक	प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	द्वितीय पाली (अपराह्न 02:30 बजे से अपराह्न 05:30 बजे तक)
06.09.2026	प्रथम पत्र	द्वितीय पत्र
07.09.2026	तृतीय पत्र	चतुर्थ पत्र

नोट:- अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

2. विज्ञापन संख्या-22/2023 के विरुद्ध ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन समर्पित करने वाले वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-10.03.2024 को आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारंभिक परीक्षा के **संशोधित परीक्षाफल** में सफल घोषित हुए हैं, वे विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुरूप पूर्व में समर्पित ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति अथवा ऑफलाईन आवेदन की छायाप्रति के साथ विज्ञापन की कंडिका-19(r) के अनुसार निम्न वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति (आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुसार) दिनांक-**05.08.2026 05:00 PM** तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा हाथों-हाथ **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची-834001"** के पते पर अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे-

- जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र।
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक उत्तीर्णता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निबंधन प्रमाण पत्र।
- अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता (यदि हो तो)।
- जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र-IV अथवा प्रपत्र-IV (संशोधित) अथवा प्रपत्र-V (संशोधित) में तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र-XI (क्रीमीलेयर रहित में), किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में प्रपत्र-XV में क्रीमीलेयर रहित स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु)।
- स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु)।
- सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्ण सूचनाओं सहित विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- खेलकूद कोटे हेतु दावे के समर्थन में खेलकूद प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो)।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

नोट:- अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर ऑनलाईन आवेदन की प्रति आयोग के वेबसाईट से प्राप्त कर सकते हैं।

3. लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या-22/2023, अनुक्रमांक, पंजीयन संख्या एवं परीक्षा का नाम यथा-"**सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा**" मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
4. दिनांक-**19.04.2025** को निर्गत प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में पूर्व में आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन (हार्ड कॉपी) समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।
5. हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आयोग कार्यालय में हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।